कार्यालय नगर नियोजक (भवन)

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

पत्रांक–डी / 28 / न0नि0(भवन)का0वि0प्रा0 / 2019–20 दिनांकः– 21-09-19

कानपुर विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मेसर्स परवरिश टैक्स प्रोडक्ट प्रा0लि0 के डायरेक्टर श्री आशीष जैन द्वारा वार्ड / योजना / मोहल्ला / सेक्टर में स्थित आराजी संख्या–2061, 2062 2063 व 2064, ग्राम–कटरी ख्योरा, कानपुर नगर पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिये गये तलपट मानचित्र के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट संख्या–3 प्रपत्र 'द' (भाग–'अ'), पंजीकृत वास्दुविद् श्री अहमद मियां, रजिस्टर्ड नं0 सी0ए0 / 2010 / 47126 नि0 266 / 347 बड़े बन, लखनऊ का प्रमाण पत्र (भाग–'ब') पर व रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र (भाग–'स') का परीक्षण श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियंता, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र परमिट संख्या–626 / भव / 2017–18 दिनांक–19.06.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 क (2) के अनुसार उपाध्यक्ष महोदया की स्वीकृति दिनांक–16.09.2019 के अनुपालन में पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

<u>प्रतिबन्ध–</u>

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति में उल्लिखित प्रतिबन्धों / शर्तों का पालन करना होगा।
2. नगर निगम में हस्तानान्तरण किये जाने तक उक्त कालोनी का रख रखाव विकासकर्ता द्वारा स्वयं करना होगा।
3. तलपट मानचित्र में समस्त भूखण्डों पर भवन मानचित्र एक किचन के साथ एकल आवास के रूप में स्वीकृत कियें जाएंगें।
4. रेरा अधिनियम का अनुपालन कराना होगा।
5. उपरोक्त प्रतिबन्धों में से किसी भी प्रतिबन्ध के उल्लंघन की दशा में निर्गत पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त होना मान्य होगा।

हस्ताक्षर .... 18/9/19 ज्योति प्रसाद

पदनाम .... नगर नियोजक कानपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय की मुहर कानपुर

दिनांक ....